



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

No: P-HQ/Wel/350/Sports/20 /8183

Date: 04.12.2021

अपर महाप्रबंधक,
समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
समस्त मंडल रेल प्रबन्धक / बिलासपुर, रायपुर, नागपुर
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/ वै.रि.शा./ रायपुर
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/ मोतीबाग कार्यशाला / नागपुर
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

कर्मचारी हित निधि अधिसूचना सं. 04/2020-21

Staff Benefit Fund Notificaion No. 04/2020-21

विषय : वर्ष 2019-20 के खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टाफ बेनिफिट फंड (एसबीएफ) से

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या .E(W)2014/FU-1/1 दिनांक 01.06.2015 (RBE No.54/2015 & स्थापना
नियम सं. 83/2015)

Please peruse Railway Board's letter under reference regarding Cash Award for wards of Railway Employees for outstanding performance in the field of sports Staff Benefit Fund (SBF).

1. इस योजना का उद्देश्य रेल कर्मचारियों के वार्डों को खेल के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पहचानना और प्रोत्साहित करना है।
1. The objective of the Scheme is to recognize and encourage wards of railway employees for their outstanding achievements in the field of sports.
2. इस योजना को "स्टाफ बेनिफिट फंड" (एसबीएफ) के तहत "स्पोर्ट्स" शीर्षक के तहत वित्त प्रदान किया जाएगा ।
2. The Scheme will be financed under the heading "Sports" under "Staff Benefit Fund" (SBF).
3. यह योजना केवल एसबीएफ नियमों के अनुसार, स्थायी रेलवे कर्मचारियों के वार्डों पर लागू होगी, जो एसबीएफ के लाभ के लिए पात्र हैं ।
3. The Scheme shall be applicable only to the wards of permanent Railway employees, who are eligible for the benefit of SBF, as per SBF rules.
4. यह योजना केवल रेलवे पास के नियमों के तहत योग्य रेलवे कर्मचारियों के वार्डों पर लागू होगी तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई तक के लिए पात्र होंगे ।
4. The scheme shall be applicable only to the wards of eligible Railway employees, covered under Railway pass rules and studying up to post graduation from any recognized Board/University.
5. इस योजना के अनुसार, खेल के क्षेत्र में उनके मेधावी प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों के योग्य वार्ड को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
5. As per this scheme, cash award shall be given to eligible wards of Railway employees for their meritorious performance in the field of sports.
6. उत्कृष्ट प्रदर्शन के मानकों, धन की उपलब्धता के आधार पर ही क्षेत्रीय एसबीएफ समिति द्वारा नकद राशि तय की जाएगी ।
6. The parameters of outstanding performance, number of such scholarships and cash amount are to be decided by the Zonal SBF Committee depending on availability of funds under SBF and no. of eligible applications.

7. यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी। नकद पुरस्कार देने के लिए, चैंपियनशिप / इवेंट का समापन दिवस ध्यान में रखा जाएगा। तदनुसार, चैंपियनशिप / इवेंट 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच संपन्न हुई, जिसे वर्ष 2019-20 के दौरान नकद पुरस्कार के लिए माना जाएगा।

7. The Scheme shall be effective from the financial Year 2019-20 onwards. For granting Cash Award, the concluding day of the championship/ event shall be taken into account. Accordingly, the **championship/event concluded between 1st April 2019 to 31st March 2020**, shall be considered for cash award during the year 2019-20.

8. प्रत्येक मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धि के लिए, अलग नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

8. For each recognized sports achievement, separate cash award shall be given.

9. नकद पुरस्कार की राशि केवल पात्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर खाता प्राप्तकर्ता चेक या ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से दी जाएगी।

9. The amount of cash award shall be given only through account payee cheque or online transfer in the name of the eligible wards.

10. यह स्पष्ट रूप से अधिसूचना में उल्लिखित है कि नकद पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से उम्मीदवार की पात्रता निश्चित नहीं हो सकती। एसबीएफ से विभिन्न मदों के अंतर्गत अनुदान / भुगतान, एसबीएफ समिति का विवेकाधिकार है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

10. The Grants /payments under different Heads from SBF are subject to availability of fund and at the discretion / decision of SBF committee, which shall be final. Hence it is clearly mentioned in the notification that mere submission of applications for assistance from SBF does not ipso-facto entitles staff to be considered for such assistance and get sanctioned with such.

11. वर्ष 2019-20 के लिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के वार्ड को नकद पुरस्कार देने के मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

11. The criteria for giving cash award to the wards of NG Railway employee for outstanding performance in the field of sports for the year 2019-20 will be as under: -

Event	Level	Position
व्यक्तिगत इवेंट Individual event	जिला स्तर / कॉलेज स्तर District Level/ College level	Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	राज्य स्तर विश्वविद्यालय स्तर / State level/University level	Third (3rd)
		Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	राष्ट्रीय स्तर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर/ National level/ All India University level	Third (3rd)
		Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	अंतर्राष्ट्रीय स्तर International level	Participation
		Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
ग्रुप इवेंट Group event	District Level/College level	Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	State level/University level	Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	National level/All India University level	Participation
		Runner (2 nd)
		Winner (1 st)
	International level	Participation
		Runner (2 nd)
		Winner (1 st)

पात्र आवेदन के कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत पुरस्कार का निर्णय लिया जाएगा।

The individual award will be decided keeping in view the no. of eligible applications.

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें। योजना का विवरण नीचे उल्लिखित लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

It is therefore, requested to circulate the same to all staff working under your control. The details of the application/scheme can be downloaded from the link mentioned below:

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/establishment/E%28W%29/2015/RBE_54_2015.pdf and <http://www.secr.indianrailways.gov.in> [Homepage> About us> Departments> Personnel> Welfare Activities]

कर्मचारी अपना आवेदन, मण्डल / वर्कशॉप यूनिट / मुख्यालय को 08.01.2021 या उससे पहले निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कर सकते हैं।

Staff may submit their applications in the prescribed proforma in Divn/Workshop Unit/HQ on or before 08.01.2021

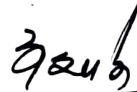
सभी मंडल / कार्यशाला इकाई एसबीएफ कमेटी से अनुरोध है कि आवेदनों की जांच के बाद, पात्र आवेदनों को दिनांक 15.01.2021 को या उससे पहले मुख्यालय कार्यालय भेजें।

After scrutiny of the applications, all Divisional/Workshop Unit authorities of SBF committee are requested to send eligible applications along with consolidated statement of applicants to **HQrs office on or before 15.01.2021**.

मुख्यालय एसबीएफ समिति को नाम भेजने से पहले, प्रामाणिकता / पात्रता मानदंड / दावे / वाउचर / प्रमाण पत्र सत्यापित करने और योग्यता और वास्तविकता के संबंध में सभी जांच की ज़िम्मेदारी मण्डल/इकाई की है। आवेदन संस्थान / स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय के प्रमुख से सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित फॉर्म में मार्क शीट की प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ जमा किया जाना चाहिए। किसी भी आवेदन पर अंतिम तिथि दिनांक 08.01.2021 के बाद विचार नहीं नहीं किया जाएगा।

Before recommending the names to the Secretary, SBF committee, it is the responsibility of Sr.DPOs/AWPOs of Divisions/WS to verify the authenticity/ eligibility criteria/ Claims/ Vouchers / Certificates and satisfy themselves in all respect with regards to eligibility and genuineness of the staff for such award from SBF. The application should be submitted in prescribed form along with all relevant certificates from the Head of the Institution/School/ College/ University and attested photocopy of mark sheet. **No application will be considered after the last date i.e 08.01.2021**

संलग्न: यथोक्त (आवेदन पत्र)


(अशोक शर्मा) 04.12.20

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (मा).सं.वी.)
कृते, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए:

- समस्त व. मण्डल कार्मिक अधिकारी एवं व. मण्डल वित्त प्रबन्धक /द पू म रे ,बिलासपुर,रायपुर एवं नागपुर
- समस्त कार्मिक अधिकारी/ मुख्या., उप. मु. कार्मिक अधिकारी (निर्माण)/बिलासपुर;
- कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/ मोतीबाग कार्यशाला/नागपुर; सहा.कार्मिक अधिकारी/सामान्य भंडार डिपो/रायपुर; सहा. कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/वैगन रिपेयर कार्यशाला / रायपुर, वरि. राजभासा अधिकारी/ मुख्या.
- महासचिव/द पू म रे मजदूर काँग्रेस /बिलासपुर ; ज़ोनल सचिव-AISCSTREA/BSP एवं SECROBCEA/BSP
- सर्व संबन्धित , सूचना पटल


/कृते, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

आवेदन पत्र

**वर्ष 2019-20 के खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टाफ बेनिफिट फंड (एसबीएफ) से
अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार ।**

1	कर्मचारी का नाम	
2	पदनाम	
3	नियुक्ति तिथि	
4	पे बैंड एवं ग्रेड पे	
5	मूल वेतन (वेतन पर्ची संलग्न करें)	
6	कर्मचारी संख्या/पी.एफ. संख्या	
7	खिलाड़ी का नाम	
8	खिलाड़ी की जन्म तिथि	
9	आवेदक के साथ संबंध (पुत्र/पुत्री)	

10. योजना के अनुसार रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचिवमेंट का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)

चैपियनशिप का नाम	चैपियनशिप की तारीख	चैपियनशिप की स्थान	मेजबान संघ	चैपियनशिप में स्थान

11	एसबीएफ या किसी अन्य स्रोत से अन्य छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता का विवरण	
----	--	--

आवेदक का हस्ताक्षर : _____

आवेदक का नाम : _____

मोबाइल नंबर : _____

कर्मचारी द्वारा उल्लेखित उपरोक्त जानकारी (क्रम संख्या 1 से 9) सेवा पुस्तिका से मिलान की गयी जो सही पायी गयी। उपरोक्त आवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु, सचिव/जोनल कर्मचारी लाभ निधि को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक -

हस्ताक्षर

पदनाम

विभाग/कार्यालय का मुहर

Certificate from the Hony. General Secretary/President from whom sportsperson got medal.

Certified that Mr. /Ms _____ son/daughter of
Shri/Smt _____ employed as _____ in
zone/division/PU/workshop, is medal winner in _____ championship
held at _____ from _____ to _____.

Seal of the Association/Federation

Signature of the Hony. General Secretary/President
of Association/Federation

Date: _____